

बिहार में राजनीतिक नेता के खिलाफ FIR दर्ज

चर्चा में क्यों?

बिहार के एक नविसी ने एक राजनीतिक पार्टी के नेता के खिलाफ वित्तीय क्षतिपिहुँचाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है।

मुख्य बिंदु

- शिकायतकर्ता, जो एक दूध विक्रेता के रूप में पहचाना जाता है, ने स्थानीय न्यायालय में याचिका दायर की और आरोप लगाया कि एक राजनीतिक नेता के नेतृत्व में आयोजित एक राजनीतिक रैली ने उसके व्यवसायिक कार्यों में बाधा उत्पन्न की।
- हालाँकि, शिकायतकर्ता ने रैली के कारण हुई असुविधा के लिये मुआवज़ा मांगने के अपने अधिकार पर जोर दिया है।
 - यह घटना राजनीतिक घटनाओं से उत्पन्न शिकायतों के लिये कानूनी समाधान की मांग करने वाले नागरिकों की बढ़ती प्रवृत्ति को रेखांकित करती है, जो सार्वजनिक सुविधा के साथ राजनीतिक अभिव्यक्तियों के संतुलन पर एक बड़ी बहस को दर्शाती है।
- सोनपुर गाँव के एक नविसी भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत राजनीतिक नेता के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग कर रहे हैं, जिसमें धारा 152 भी शामिल है, जो राजद्रोह से संबंधित है।
 - BNS की धारा 152, अलगाववाद, सशस्त्र विद्रोह और विध्वंसकारी गतिविधियों को उत्तेजित करने वाले किसी भी कृत्य को अपराध के रूप में मानती है।
 - यह अलगाववाद की भावनाओं को प्रोत्साहित करने या भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को भी अपराध मानता है।

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023

BNS 2023 ने भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित किया, जिसमें 358 धाराओं (IPC की 511) को शामिल किया गया, IPC के अधिकांश प्रावधानों को बनाए रखा गया, नए अपराधों को पेश किया गया, न्यायालय द्वारा बाधित अपराधों को समाप्त किया गया और विभिन्न अपराधों के लिये दंड को बढ़ाया गया।

शामिल नवीन अपराध

- ❖ **विवाह का वादा:** विवाह करने के "झूठे/मिथक" वादे को अपराध घोषित करना
- ❖ **मॉब लिंचिंग:** मॉब लिंचिंग और हेट-क्राइम के कारण होने वाली हत्याओं से जुड़े अपराधों को संहिताबद्ध करना
- ❖ सामान्य आपराधिक कानून अब **संगठित अपराध** और **आतंकवाद** को कवर करता है, जिसमें UAPA की तुलना में BNS में आतंक का वित्तपोषण करना शामिल है।
- ❖ **आत्महत्या का प्रयास:** किसी भी लोक सेवक को आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने या मजबूर करने के आशय से आत्महत्या करने के प्रयास को अपराध माना गया है।
- ❖ **सामुदायिक सेवा:** इसमें चिकित्सा सेवा/सामुदायिक सेवा को सज़ा के रूप में जोड़ा गया है।

विलोपन

- ❖ **अप्राकृतिक यौन अपराध:** IPC की धारा 377, जो अन्य "अप्राकृतिक" यौन गतिविधियों के बीच समलैंगिकता को अपराध मानती थी, पूरी तरह से निरस्त कर दी गई
- ❖ **व्यभिचार:** शीर्ष न्यायालय के फैसले के अनुरूप व्यभिचार का अपराध हटा दिया गया
- ❖ **ठग:** IPC की धारा 310 पूर्ण रूप से हटा दी गई
- ❖ **लैंगिक तटस्थता:** बच्चों से संबंधित कुछ कानूनों को लैंगिक तटस्थता लाने के लिये संशोधित किया गया है

अन्य संशोधन

- ❖ **फेक न्यूज़:** झूठी और भ्रामक जानकारी प्रकाशित करना अपराध है
- ❖ **राजद्रोह:** व्यापक परिभाषा देते हुए नए नाम 'देशद्रोह' के साथ पेश किया गया
- ❖ **अनिवार्य न्यूनतम सजा:** कई प्रावधानों में अनिवार्य न्यूनतम सजा निर्धारित की गई है, जो न्यायिक विवेक के दायरे को सीमित करती है
- ❖ **सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान:** श्रेणीबद्ध जुर्माना लगाना (यानी क्षति की मात्रा के अनुरूप जुर्माना)
- ❖ **लापरवाही से मौत:** लापरवाही से मौत की सजा को दो वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष कर दिया गया (डॉक्टरों के लिये - 2 वर्ष की कैद)

प्रमुख मुद्दे

- ❖ **आपराधिक उत्तरदायित्व आयु विसंगति:** आपराधिक उत्तरदायित्व की आयु सात वर्ष बनी हुई है, आरोपी की परिपक्वता के आधार पर इसे 12 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की अनुशंसाओं के अनुरूप नहीं है।
- ❖ **बाल अपराध परिभाषाओं में विसंगतियाँ:** BNS2 एक बच्चे को 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। बच्चों के विरुद्ध कई अपराधों के लिये आयु सीमा भिन्न होती है, जिससे असंगतता की स्थिति उत्पन्न होती है।
- ❖ **बलात्कार और यौन उत्पीड़न पर IPC प्रावधानों को बरकरार रखना:** BNS2 ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न पर IPC के प्रावधानों को बरकरार रखा है। यह न्यायमूर्ति वर्मा समिति (2013) की सिफारिशों पर विचार नहीं करता है जैसे कि बलात्कार के अपराध को लैंगिक तटस्थ बनाना और वैवाहिक बलात्कार को अपराध के रूप में शामिल करना।

